इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 135] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 2 मई 2024—वैशाख 12, शक 1946

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मई 2024

क्र.आर-2696-2020-सत्रह-मेडी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश खाद्य तथा औषधि प्रशासन (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 11 में, उपनियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(7) विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों / कर्मचारियों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत पद अथवा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5-2-2018-1-3, दिनांक 22 जुलाई, 2023 के अनुसार विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50% तक के पद (दोनों में से जो कम हों), संविदा अधिकारियों / कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे. इन निर्देशों अथवा संदर्भित पूर्व निर्देशों के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (Joining) उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी.".

(2) नियम 12 में पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए तथा इसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा सेवा में चयनित प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.".

No. R-2696-2020-XVII-Medi-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Food and Drugs Administration (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2022, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,

(1) in rule 11, for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(7) Fifty percent of the total number of contractual officers / employees who have completed 5 years of continuous service on contractual posts equivalent to regular posts of direct recruitment in the department or up to 50% of the vacant posts of direct recruitment in the department (whichever is less), shall be reserved for appointment of contractual officers / employees *vide* the circular of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department No. C-5-2-2018-1-3, dated 22nd July, 2023, Once they have taken advantage of the reservation facility under these instructions or the earlier instructions referred to, they shall not be eligible for he benefit again after getting appointment.".

(2) in rule 12, for full stop, the colon shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that every person selected in service by direct recruitment through the Madhya Pradesh Public Service Commission, shall be appointed on probation for a period of two years.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक अग्रवाल, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.